(24)

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय , राजस्व मंडल वृत रीवा म0प्र0

Rs 30/-

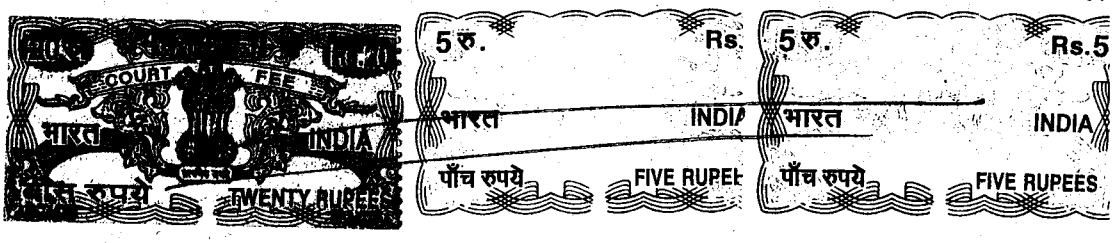

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R 5372-II/16

रामकलेश सिंह तनय राम विश्राम सिंह नि0ग्राम खैरा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 --- निगरानी कर्ता/अ

बनाम

1- हनुमान सिंह तनय स्व0 तीरथ सिंह ।

2- श्री मती ममता सिंह पत्नी हनुमान सिंह । दोनो निवासी ग्राम- खैरा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 --- गैर निग0 / अना0 ग

अधिवक्ता श्री ज्ञानसिंह द्वारा प्रस्तुत 29-8-2016 29.8.16

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जि रीवा म0प्र0 का प्रकरण क्र0- 481/अ- निगरानी / 2010-11 , आदेश दिनां 28-6-016 ,

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू.र

मान्यवर ,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :---

(1) यह कि अधी0 न्याया0 का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत हो से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि अधी0 न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि आरा नं0 457/2 ख, के रकबे के पूर्व लगी भूमि हनुमान सिंहके नाम पर नहीं है , बल्कि ममता सिंहके नाम पर है, जो भूमिनं0 457/6 है । भी हो ममता सिं हनुमान सिंहकीपत्नी है , जबकि हनुमान सिंह के नाम 457/5 है, जो म सिंहके नाम वाली भूमि के उत्तर है, तथा बालेन्द्र सिंह के भूमि नं0 457/ के पूर्व मे है जिसका भी सीमांकन हुआ लेकिन उसका आपत्ति नहीं की गयी (पक्षकारों

(3) यह कि अधी0 न्याया0 ने यह मानने मे भूल की है, कि सूचना प पत्र तथा पंचनामा मे सरहददी काश्तकारों के हस्ता0 नहीं है, जबकि सूचना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5372–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03 –4–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के के प्रकरण कमांक 481/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही किये बिना सीमांकन किया गया है जो प्रावधानों के अनरूप नहीं है। स्थल टीप में उल्लेखित कर दिया गया है कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जाकर सीमांकन किया गया परन्तु नक्शा तरमीम की कार्यवाही अन्य उपखंण्डों के भूमिस्वामियों की उपस्थिति में नही किया गया है। इसी कारण अपर कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया है। अपर कलेक्टर द्वारा विस्तार से विवचेना कर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	